कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर,म.प्र.

क्रमांक / 1430 / री.ए.डी.एम. / 2020 इन्दौर, दिनांक 26 / 05 / 2020

" आदेश"

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(शासकीय / अर्द्धशासकीय / निगम विभागों के कार्यालयों को खालने के संबंध में निर्देश)

पूर्व जारी आदेश क्रमांक कमांक / 567–568 / री0ए0डी0एम0 / 2020, दिनांक 29.03.2020 के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का समावेश उक्त पूर्व जारी आदेश में किया जाता है :–

वर्तमान कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा से उत्पन्न खतरे के परिपेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने एवं सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक अलगाव) के उददेश्य से शासन निर्देशानुसार सभी गतिविधियों को बंद किया गया है, एवं इन्दौर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत सघन जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए और लोक जीवन की सुरक्षा हेतु दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 आदेश वर्तमान में प्रभावशील है ।

इन्दौर जिले में में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील होने व शासन के निर्देशों के तहत इस जिले के शासकीय / अर्द्धशासकीय / निगम विभागों के कार्यालय बंद है । मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 164 / 2020 / सी–2 दिनांक 18 / 05 / 2020 के क्रम में इन्दौर जिले के सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय / के कार्यालयों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक सीमा तक कर्मचारी उपस्थिति रहने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है । इन कार्यालयों के अधिकारियों की उपस्थिति शत–प्रतिशत रहेंगी ।

सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र को कर्फ्यू पास के रूप में मान्य किया जावेंगा ।

समय–समय पर जारी शासन निर्देशों व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, सभी आवश्यक चिकित्सीय मापदण्डों का पालन सुनिश्चित् करना अनिवार्य होगा । उपरोक्त सभी अधिकारियों / कर्मचारियों व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा । सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होंगा, सेनेटाईजर, ग्लब्स का उपयोग करना होंगा ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा । उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय–समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेंगी।

यह आदेश दिनांक 26/05/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर
District Magistrate
District Indore (M.P.)

Scanned with CamScanner

1431

पृ0क्र0................/री0ए0डी0एम0/2020 इन्दौर, दिनांक 26/05/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
5. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
6. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातयात, इन्दौर ।
7. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी/एस0डी0ओ0(पी)/नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ... इन्दौर
8. थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
9. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाश हेतु अग्रेषित।
10. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।
12. सर्व संबंधित कार्यालय प्रमुख...
....

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर
District Magistrate
District Indore (M.P.)

Scanned with CamScanner